कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, Const.DIV. POKHARI

Ph. No/Fax No :- 01372-222156 **Email :-eepwdpokhari@rediffmail.com**

पत्रांक 986 / 15सी0 वनभूमि दिनांक 19/06/2021

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषयः– राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी–हरिशंकर–चौड़ी–रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हे0 सिविल एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 कुल 1.180 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्र सं0 8 बी0/यू0सी0पी0/06/16/2021/एफ0सी0/126 दिनांक 30.04.2021 एवं नोडल अधिकारी कार्यालय का पत्र दिनांक 04.06.2021।

महादेय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी–हरिशंकर–चौड़ी–रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हे0 सिविल एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 कुल 1.180 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	इंगित आपत्ति	निराकरण
01	Kindly upload the administrative and financial sanction GO; also upload the CA scheme signed by the competent authority.	The administrative and financial sanction GO and CA scheme (signed by the competent authority) has been uploded
02	DFO sir to validate the justification made by UA.	विषयक मोटर मार्ग उडामाण्डा–सिनाउ –रौता मोटर मार्ग के कि0मी0 27.00 (है0मी0 0 से 2) से प्रस्तावित है। ग्राम–सिंमलासू के ग्रामीणों द्वारा वर्ष 2017–18 में जिला पंचायत, चमोली द्वारा उडामाण्डा–सिनाउ–रौता मोटर मार्ग के कि0मी0 28 से सिमलासू को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण प्रारम्भ किया गया था, जो कि ग्राम–सिमलासू के निर्मित भवनों के नीचे स्थित नाप भूमि से निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। 300मी0 मार्ग निर्माण के पश्चात भूमि धसाव के कारण निर्मित भवनों का खतरा उत्तपन होने से ग्रामीणों द्वारा मार्ग निर्माण पर आपत्ति की गई जिसके कारण मार्ग निर्माण रोक दिया गया एवं ग्राम–सिमलासू मोटर मार्ग से पूर्णत नहीं जुड़ सका है। सिमलासू के ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित समरेखण पर मोटर मार्ग की मांग की जा रही है। ग्राम–सिमलासू के ग्रामीणों को प्रतिदिन यातायात हेतु अत्यधिक दूरी को कम करने एवं समय व ससांधनों की बजत हेतु शासन द्वारा गांव को सुलभ संयोजकता प्रदान करने हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग कुल लम्बाई 1.925 कि0मी0 की स्वीकृति प्रदान की गई है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

19.6.2021

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी

(1)

राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी –हरिशंकर –चौडी रोता मोटर मार्ग 1.925 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 1.12 है0 सिविल वन भूमि हस्तान्तरण के ऐबज में दो गुना क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

1 परियोजना का नाम– पोखरी –हरिशंकर चौडी , रोता तक 1.925 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण कार्य
2 वृक्षारोपण स्थल का नाम–
3 वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल– 2.24 है0
4 रोपित किये जाने वाली पौधों की संख्या 4480 पौध
5 रोपित किये जाने वाले प्रजाति –प्राकृतिकवास के अनुसार

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर–नागनाथ वन क्षेत्र

क्र0सं0	कार्य विवरण	इकाई		दर		धनराशि
1	2	3		4		
1	सर्वेक्षर व सीमाकन कार्य	2.24	है0	151.00		338.24
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की झाडी काटना व सफाई करना	1.00	है0	5050.00		5050.00
3	दीवालबन्दी कार्य पर व्यय (घ0मी0 में)	224.00	घ0मी0	346.00		77504.00
4	अभियन्त्रण व जल संरक्षण कार्य पर व्यय	7	स0	15000.00		105000.00
5	गढडे खुदान कार्य वर व्यय (0.30X0.30X0.45)	4480	स0	9.34		41843.20
6	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य पर व्यय	2.24	है0	600.00		1344.00
7	अन्य व्यय जैसे संयत्र क्रय करना औजार तेज करना	2	बार	568.00		1136.00
8	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	4480	स0	9.00		40320.00
	योग प्रथम वर्ष					**272535.44**
	द्वितीय चरण					
1	गढडे भरान कार्य (0.30X0.30X0.45)	4480	स0	1.78		7974.40
2	वृक्षारोपण से पूर्व क्षेत्र की झाडी कटान व सफाई करना	1.00	है0	2363.00		2363.00
3	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	4480	स0	2.13		9542.40
4	पौध ढुलान का कार्य पर व्यय	4480	स0	11.00		49280.00
5	पौध रोपण तथा थावला वन्दी कार्य पर व्यय	4480	स0	3.46		15500.80
6	खाद उर्वरक व अन्य व्यय	4480	स0	1.00		4480.00
7	दो बार निराई गुडाई व मल्चिंग पर व्यय	4480	स0	4.43		19846.40
8	पौधो पर कल्चर कार्य	2000	स0	4.13		8260.00
8	देख–रेख व रखरखाव*पर व्यय (7) माह	2.24	है0	595.00		9329.60
9	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनसील पदार्थो को हटाना।	2.24	है0	600.00		1344.00
10	सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मीटर की पट्टी को साफ करना।	2.24	है0	212.00		474.88
11	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा मे उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियो /समितियों को प्रोत्साहन देना 1– प्रशिक्षण	2	स0	10000.00		20000.00
	2– प्रोहत्साहन	1	स0	15000.00		15000.00
12	साईन बोर्ड कण्डी, सुतली, बोरी एवं पौलीथीन सीट क्रय करना फोटोग्राफी प्रचार प्रसार व डोक्योमेंटेशन आदि	2.24	है0	L-S		7000.00
	योग द्वितीय चरण					**170395.48**
	तृतीय चरण					
1	**पौध की कीमत**	**500**		**11**		5500
2	**पौध ढुलान का कार्य पर व्यय**	**500**		**13**		6500
3	**पुनः गड्डा खोदना तथा रोपण करना**	**500**		**6**		3000
4	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24	है0	595.00		15993.60
5	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनसील पदार्थो को हटाना	2.24	है0	600.00		1344.00
6	वृक्षारोपण की सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	2.24	है0	212.00		474.88
7	शीतकाल में पौधो की गुडाई एवं मल्चिंग करना	4480		2.05		9184.00
8	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा मे उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना 1– प्रशिक्षण	2	स0	15000.00		30000.00
	2– प्रोहत्साहन	2	स0	10000.00		20000.00
	योग तृतीय चरण					**76996.48**
	चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24	है0	595.00	प्रति है0	**11450.00**
	योग चतुर्थ चरण					**11450.00**
	पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24	है0	595.00	प्रति है0	15993.60
	योग पंचम चरण					**15993.60**
	षष्टम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24	है0	595.00	प्रति है0	15993.60
	योग षष्टम चरण					**15993.60**
	सप्तम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्टम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24	है0	595.00	प्रति है0	15993.60
	योग सप्तम चरण					**15993.60**
	अष्टम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24	है0	595.00	प्रति है0	15993.60
	योग अष्टम चरण					**15993.60**
	नवम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24	है0	595.00	प्रति है0	15993.60
	योग नवम चरण					**15993.60**
	दशम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24	है0	595.00	प्रति है0	15993.60
	योग दशम चरण					**15993.60**
	कुल योग					**627339.00**
					या	**627339.00**

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

(112)

संख्या– 2661 /III(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 19 अक्टूबर, 2017

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत विभिन्न 03 कार्यों हेतु द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, पौडी गढवाल द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न 03 कार्यों के विस्तृत आगणनों, जिनकी लम्बाई 7.425 किमी0 + 02 सेतु एवं लागत ₹ 532.70 लाख है, पर विभागीय टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त **संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 532.70 लाख (रू0 पांच करोड़ बत्तीस लाख सत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात 03 कार्यों हेतु ₹ 0.30 लाख (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नही किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–0302 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य (5054–04–800–03–02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–447/XXVII/(2)/2017 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या– 2561 /III(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, 7 वॉ वृत्त् लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लोक निर्माण विभाग, पोखरी।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

संख्या– 2661 / III(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में पोखरी–हरिशंकर मोटर मार्ग से थौली– थाला बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3.00 + 2 No Bridge	275.87	0.10
2	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत पोखरी हरिशंकर चौण्डी रैता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.925	105.29	0.10
3	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत रानौं–क्वींठी मोटर मार्ग से तोली–गेलूंग तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (द्वितीय चरण)	2.50	151.54	0.10
	योग:–	7.425 + 2 No Bridge	532.70	0.30

(कुल ₹ तीस हजार मात्र)

(जीवन सिंह)
उप सचिव